

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०:-०८/अ०प्र०-०२-१०/२०२५

५६४

/पटना दिनांक-०३/१०/२५

श्री मन्तेश कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा (गृह जिला-नालन्दा) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खुसरूपुर, कार्य प्रमंडल, पटना में पदस्थापित करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

२. इस आदेश के निर्गत होने के साथ ही संबंधित कर्मों का स्थानांतरण/पदस्थापन से संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश/प्रतिनियुक्ति आदेश स्वतः विलोपित समझे जायेंगे।

३. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि उनके अधीनस्थ पदस्थापित किये गये कर्मियों का अद्यतन सेवापुस्त को पूर्व पदस्थापन स्थान से प्राप्त कर लें।

४. इनका स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है। अतः उन्हें स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

५. यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।

६. इस पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अरवि सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना दिनांक-०३/१०/२५

ज्ञापांक:-०८/अ०प्र०-०२-१०/२०२५ १०४९३

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता-०१, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-०२, गया, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा/पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा/पटना/बिहारशरीफ/श्री मन्तेश कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा को निदेश दिया जाता है कि इनका विरमन तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

ज्ञापांक:-०८/अ०प्र०-०२-१०/२०२५ १०४९३

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित भविष्य निधि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना दिनांक-०३/१०/२५

ज्ञापांक:-०८/अ०प्र०-०२-१०/२०२५ १०४९३

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना दिनांक-०३/१०/२५

सरकार के संयुक्त सचिव